बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board Of Open Schooling & Examination
शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना –800001
Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001
Website: www.bbose.org
Email ID:info@bbose.org
Phone No: 0612-2355563
Fax No : 0612-2355662

बिहार सरकार

पत्रांकः– BBOSE/588 पटना, दिनांकः– 12.12.19

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी
–सह–
अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार के सभी विद्यालय/विश्वविद्यालय, सरकारी एवं स्वायत्त शिक्षण संस्थान एवं सभी सरकारी विभागों।

विषयः– बोर्ड की मान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बोर्ड का गठन मानव संसाधन विभाग के संकल्प सं० 15/पी 5–07/10–420, दिनांक 15 फरवरी, 2011 के द्वारा किया गया है। जिसके आलोक में बिहार गजट (असाधारण) 398–571+200–डी०टी०पी०, दिनांक– 03 अगस्त, 2011 में किया गया है, जिसे वेबसाईटः–http://egazette.bih.inc.nic.in पर भी देखा जा सकता है। इस बोर्ड को **भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल (COBSE), दिल्ली** के पत्रांक–COBSE/C.66/2011, पत्रांक–COBSE/C.99/2018 एवं पत्रांक–COBSE/C.66/2019/1038 के द्वारा सदस्यता प्रदान करते हुए मान्यता दी गई है, **भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU)** के पत्रांक–EVN(354)/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 के द्वारा अपने मान्यता वाले सूची में शामिल किया गया है तथा बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या– 3/एम0–34/2019–13584 सा0प्र0/पटना, 15, दिनांक–01.10.2019 से मान्यता के सदर्भ में पत्र निर्गत किया गया है। (सभी पत्रों की छायाप्रति संलग्न)

अतः बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की मान्यता पूरे भारत के सभी विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान एवं सभी सरकारी विभागों में मान्य हैं।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/12/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1
निबंधन संख्या पी.टी.-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 398) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

सं0 15/पी 5-07 /10-420

मानव संसाधन विभाग

संकल्प

15 फरवरी 2011

विषय:- विद्यालयी एवं व्यवसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 'बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड' स्थापित करने के संबंध में।

विद्यालयी एवं व्यवसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' स्थापित करने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

देश एवं राज्य में भारी संख्या में बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्क, औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगौलिक कारणों से बाहर है। ऐसे सभी शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''दुरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' एक सशक्त माध्यम के रूप में पुरे देश में उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् एवं ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरंभ होने के बाद, औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर दबाव और अधिक बढ़ेगा। इस दबाव के कारण उत्पन्न मांग की पूर्ति में यह बोर्ड सार्थक भूमिका निभाएगा।

''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' के संबंध में मुख्य अंश निम्नवत है-

(क) इस संस्था का नाम ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' होगा।

(ख) इस नाम की संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर स्थापित किया जायेगा।

(ग) इसका संचालन सामान्य परिषद् एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से होगा।

(घ) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, निदेशक, उप-निदेशक आदि के पद राज्य सरकार के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के अधार पर प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे।

(ड.) सहायक निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, रोकड़पाल, आदेशपाल आदि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति/संविदा के अधार पर रखें जायेंगे।

यह बोर्ड अन्य औपचारिक विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के समतुल्य होगा एवं प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं डिग्री पूर्व तक की सामान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा ''मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा। इसके माध्यम से आवेदकों का समान्य एवं व्यवसायिक शिक्षा के विषयों में नामांकन किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल

Council of Boards of School Education of India

6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi - 110034

Mr. Vineet Joshi, IAS
President
off. (011) 22467263

Ref. No. COBSE/C. 66/2011

Prof. D.V. Sharma
General Secretary
Off. (011) 27351264
Res. (011) 27311929

Dear Shri Bist,

Subject : Grant of COBSE membership to BBOSE

This is Continuation of this office letter dated 11 January 2012 conveying approval of the competent authority to the grant of membership of COBSE to BBOSE.

We welcome BBOSE as member of COBSE and the Certificates issued by Bihar Board of Open Schooling & Examination, Patna will be treated as recognized by our member boards. The name of BBOSE will be included in the next issue of the COBSE Telephone Directory.

Yours sincerely

D V Sharma
(D.V.Sharma)
General Secretory

Shri D.S. Bist
Chief Executive Officer
Bihar Board of Open Schooling & Examination
Nyaya Nagar, Chanakya National Law Univ, Campus
Mithapur, Patna- 800001

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल
Council of Boards of School Education in India
6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi-110034

Asano Sekhose
...

... Sharma
...al Secretary
(011) 27351264

Ref. No.COBSE/C.99/2018

28 May 2018

The Chairman
Haryana Board of School Education
Hansi Road, Bhiwani-127021.

Respected Sir,

Subject: Validity of the certificates of Bihar Board of Open Schooling & Examination.

This is with reference to the intimation received from you regarding equivalence to Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna.

2. You are aware, COBSE grants membership to boards/institutions that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by an Executive Order of the Central/State government, and follow the National Curriculum Framework/ CBSE. The certificates issued by its member-boards are equivalent to any other member-board across the country.

3. The Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna had applied to COBSE for membership in 2011 along with all relevant papers/ documents. On detailed examination, it was observed that BBOSE, Patna had been established by and under the Order of the Hon'ble Governor, and duly notified by the Department of Human Resource Development, Government of Bihar through a State Gazette Notification No.15/P-07/10-420 dated 3rd August 2011. Its certificates of 10th & 12th class were also declared to be equivalent to any other board in the country. It was therefore found to be a fit case for grant of COBSE membership and was accordingly granted membership vide letter dated 11 January 2012. The name of BBOSE appears in the list of member-boards of COBSE.

4. In view of the above, the Haryana Board is requested to include the name of the Board of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna in the list of equivalent boards so that students holding valid certificates from BBOSE Patna are not deprived from admission in schools/ institutions in the State of U.P. under the

control of Haryana Board. The CEO, BBOSE has been requested to make a formal request to your Board, in this regard.

Yours sincerely,

Sd/-

(M.C. Sharma)
General Secretary

Cc: Shri Giriwar Dayal Singh, IAS, Chief Executive Officer, Bihar Board of Open Schooling & Examination, Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001 (Bihar).

Mcharma

(M.C. Sharma)
General Secretary

भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मण्डल
Council of Boards of School Education in India
6H BigJo's Tower, A-8 Netaji Subhash Place, Ring Road, Delhi-110034

COBSE

Mrs. Asano Sekhose
President

M.C. Sharma
General Secretary
Off.: (011) 27351264

Ref. No. COBSE/C.66/2019/1038

26 August 2019

Subject: Validity of the qualifications of BBOSE.

Respected Sir,

You are aware, COBSE grants membership to boards/institutions that are set up by an Act of Parliament or State Legislature or by an Executive Order of the Central/State government, and follow the National Curriculum Framework/ CBSE. The certificates issued by its member-boards are equivalent to any other member-board across the country.

The Bihar Board of Open Schooling & Examination (BBOSE), Patna had applied to COBSE for membership in 2011. As per the information and documents furnished to us, the BBOSE had been established by and under the Order of the Hon'ble Governor and duly notified by the Dept of Human Resource Development, Govt of Bihar through a State Gazette Notification dated 3rd August 2011, according to which its certificates were declared to be equivalent to any other board in the country. Accordingly, the BBOSE was granted membership by COBSE.

We have, however, received information from the Chairman, Haryana Board (copy enclosed) that the BBOSE has not been granted equivalence by the Haryana Board as BBOSE has not approached them for the same.

In view of this, you are requested to kindly make a formal request to the Chairman, Haryana Board for equivalence, so that the pass-outs of BBOSE do not face any problem in seeking admissions or employment in the State of Haryana. COBSE on its part has separately informed the Haryana Board about the status and validity of the qualifications of BBOSE (copy enclosed).

With regards,

Yours faithfully,

(M.C. Sharma)
General Secretary

Shri Giriwar Dayal Singh
Chief Executive Officer
Bihar Board of Open Schooling & Exam
Chanakya National Law University Campus
Nyay Nagar, Mithapur, Patna-800001.

परिशिष्ट-2

भारतीय विश्वविद्यालय संघ
ए.आई.यू. हाउस-16, कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नई दिल्ली - 110 002
Association of Indian Unitversities
AIU House - 16, Comrade Indrajit Gupta Marg
New Delhi - 110 002

No. : EVN (354)2012/
March 20, 2012

Mr, Dinesh Singh Bist.
CEO
Bihar Board of Open Schooling and Examination
Chanakya National Law School Campus
Meethapur, Patna

Dear Sir,

This has reference to your letter No, A13 dated 23rd Febuary,2012 on the parity of Secondary and Senior Secondary Examination Conducted by Bihar Board of Open Schooling and Examination (BBOSE).

AIU accords equivalence to 10-year Secondary and 12-year Senior Secondary Higher Secondary / Intermediate / Pre-University examinations conducted by the Boards established by the State/Central Government (s) and approved by the Council of Boards of School Education in India (COBSE) Delhi.

We have noted that the name of the Bihar Board of Open Schooling and Examination, Patna is has been included in the approved list of COBSE.

The Academic Stream Examinations Conducted by BBOSE will be accepted at par with Higher School Certificate Examination of National Board of Open Schooling (NIOS), Provided the eligibility requirements, course curriculum evaluation and examination methodology. No. of Subjects etc. remains the same.

Kindly also let us know as to whether or not, the Senior Secondary Examination of BBOSE will be accepted at par by the Universities of Bihar for the purpose of admission to Higher studies as well as for employment.

Thanking you,
Yours faithfully

Section Officer (Evaluation)

Phone : 23230059, 23231097, 23232429, 23232435, 23233090
e-mail publicationsales@aluweb.org. sgoffice@aluweb.org. info@aluweb.org.
Website : http//www.aluweb.org Fax (91)-011-23232131

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः— बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त मैट्रिक एवं इन्टर के प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुक्त विद्यालयों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों का उपयोग छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के प्रयोजन से किया जाता है। राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के क्रम में भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उक्त संस्थानों से प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्री समर्पित किये जा रहे हैं। परन्तु राज्य सरकार में नियुक्ति में ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की मान्यता के संदर्भ में कोई स्पष्ट निर्णय संसूचित नहीं है।

2 वर्णित स्थिति में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों/डिग्रियों की बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3 शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों की मैट्रिक एवं इन्टर की डिग्रियों को सामान्य बोर्ड की डिग्रियों के समकक्ष/समतुल्य माने जाने का अभिमत गठित किया गया है।

3 अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्री भी मान्य होंगे।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1/10/19

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—3/एम0—34/2019— 13584 सा0प्र0/पटना, 15 दिनांक— 1·10·19

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (ई—गजट प्रशाखा), बिहार, पटना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1/10/19

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—3/एम0—34/2019— 13584 सा0प्र0/पटना, 15 दिनांक— 1·10·19

प्रतिलिपि— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/बिहार अभिलेखागार, बेली रोड/विपार्ड, वाल्मी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

1/10/19

सरकार के उप सचिव

Kriyashil Bihar